न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–41 / 2018

जी.सी.एम.एस नं.–2018 / 00027

1. पृथ्वी राज पुत्र बनाराम जाति नायक निवासी चक 71 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज
2. रामलाल पुत्र बनाराम जाति नायक निवासी चक 71 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. जयलाल पुत्र बनाराम जाति नायक निवासी चक 71 जीबी तसहील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––वादीगण

बनाम्

1. सूरती देवी उर्फ मुरख्तयार कौर पुत्री अमरसिंह पत्नी प्रतापसिंह जाति जटसिख निवासी चक 71 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. उदराम पुत्र बनाराम जाति नायक निवासी चक 71 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. जमना देवी पुत्री बनाराम पत्नी लूणाराम जाति नायक निवासी चक 8 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––––प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट प्रतिवादी सं.–1 की ओर से
3. एक पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी सं.–3 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांकः–24/12/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 71 जी बी तसहील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–38 पत्थर नं.–256 / 435 का किला नं.–1 ता 12, 13 का 0 बिस्वा कुल 12 बीधा 10 बिस्वा यानि 3.163 हैक्टर का वादीगण एवं प्रतिवादी सं.–2 व 3 को मूल खातेदार बनाराम के अधिकार के तहत खातेदार कृषक घोषित किया जावे और तदुनुसार विवादित कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन को हटाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं.–2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जाने का आदेश प्रतिवादी सं.–4 को दिया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं.–1 ता 3 को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 1 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा अनवान सदर वाद पत्र अन्त[illegible] 88, 188 एक्ट में पेश किया गया है प्रकार का वाद केवल टिनेन्ट ही ला सकता है और भूमि [illegible] काबिज व्यक्ति ही ला सकता है प्रार्थीगण न तो भूमि के टिनेन्ट है और ना ही भूमि पर [illegible]ज है। वादीगण द्वारा अनुतोष में भी भूमि के खातेदार घोषित करवाने का निवेदन किया [illegible] यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण टिनेन्ट नहीं है ना ही उक्त भूमि पर [illegible] का कब्जा ही है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल निरस्ती के है। मूल खातेदार बन्नाराम द्वारा अपने जीवनकाल में करवाया गया बैयनामा दिनांक 10.05.1972 एक पंजीकृत दस्तावेज है जो आज भी प्रभाव में है वादीगण उक्त पंजीकृत बैयनामा को सक्षम सिविल न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:46:33 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

से निरस्त करवाए बिना श्रीमान न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं है अतएव वादीगण का वाद विधि विरूद्ध एवं विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। विवादित भूमि का बैचान जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 10.05.1992 को मुझ प्रतिवादीया के पक्ष में निषादित कर पंजीकृत करवा दिया व बैयनामा की रूह से कब्जा मुझ प्रतिवादीया को सौंप दिया। बैयनामा दिनांक 10.05.1972 से 12 वर्षों की अवधि के भीतर मुझ प्रतिवादी से कब्जा प्राप्त करने का कोई प्रयास न तो बन्नाराम ने अपने जीवनकाल में तथा ना ही तथाकथित वारिसान वादीगण के द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया अतएव कानूनन उक्त 12 वर्षों की मियाद अवधि समाप्त होने के बाद मूल खातेदार बन्नाराम के उक्त विवादित भूमि के टिनेन्सी अधिकार ही समाप्त हो चुके है बैयनामा दिनांक 10.05.1972 के 50 वर्षों बाद कोई कार्यवाही विक्रेता की प्रस्तावना पर करना ट्रांसवस्टी आफॅ जस्टिस (न्याय का उपहास) है तथा ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के है। वाद पत्र में दर्ज आधार में दर्ज कृषि भूमि को विवादित कर राज्य सरकार द्वारा एक वाद सं.–63/1977 प्रकरण सरकार बनाम लिखमाराम बगैरा अर्न्तगत धारा 175 आर टी एक्ट के तहत दायर किया था जो बाद विचारण गुणावगुण पर दिनांक 07.02.1977 को मुझ प्रतिवादी के पक्ष में डिक्रित एवं निर्णित किया जा चुका है जो निर्णय एवं डिक्री अन्तिम हो चुकी है इस प्रकार वाद पत्र रेसजूडिकेटा सिद्धांत से बाधित होने के कारण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं.–1 की और से प्रस्तुत प्रा.प्रत्र पर जबाव वादी की और निम्नप्रकार है– प्रा.पत्र में दर्ज भूमि जिस प्रकार से दर्ज है उसमे सच्चाई के अशं निहित नहीं है। वादी द्वारा विधिक रूप से दावा पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है। वाद किसी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नही है। कोई कारण दर्ज नहीं है ऐसी स्तिी में प्रा.पत्र प्रतिवादी निरस्त किये जाने योग्य है। प्रा.पत्र में दर्ज कान एवं तय का मिश्रित प्रश्न है जिसका निस्तारण साक्ष्य आने पर ही होगा। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जायें।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादीगण/प्रार्थीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं.–1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि इस प्रकार का वाद केवल टिनेन्ट ही ला सकता है और भूमि पर काबिज व्यक्ति ही ला सकता है प्रार्थीगण न तो भूमि के टिनेन्ट है और ना ही भूमि पर काबिज है। वादीगण द्वारा अनुतोष में भी भूमि के खातेदार घोषित करवाने का निवेदन किया गया है जिससे यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण टिनेन्ट नहीं है ना ही उनका भूमि पर कोई कब्जा ही है मूल खातेदार बन्नाराम द्वारा अपने जीवनकाल में करवाया गया बैयनामा दिनांक 10.05.1972 एक पंजीकृत दस्तावेज है जो आज भी प्रभाव में है उक्त अभिलेख उक्त पंजीकृत बैयनामा को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाए बिना श्रीमान न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं है। अतएव कानूनन उक्त 12 वर्षों की मियाद अवधि समाप्त होने के बाद मूल खातेदार बन्नाराम के उक्त विवादित भूमि के टिनेन्सी अधिकार ही समाप्त हो चुके है बैयनामा दिनांक 10.05.1972 के 50 वर्षों बाद कोई कार्यवाही विक्रेता की प्रस्तावना पर करना ट्रांसवस्टी आफॅ जस्टिस (न्याय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:46:33 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपहास) है। माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नही है वादीगण का वाद पोषणीय नहीं हैं तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.–1 विवादित कृषि भूमि वाद केवल टिनेन्ट और भूमि पर काबिज व्यक्ति ही ला सकता है प्रार्थीगण न तो भूमि के टिनेन्ट है और ना ही भूमि पर काबिज है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल निरस्ती के है। वादीगण का हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण सं.–1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादीगण का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:46:33 IST
Reason: SelfAttested